कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

मेयर इन काउंसिल

संकल्प क्रमांक (14) पारित दिनांक 15.03.2011

विषयः— छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य अवधारण हेतु प्रति वर्गफूट दरों का निर्धारण प्रतिवर्ष किये जाने का प्रावधान है। नगर निगम, रायपुर में प्रति वर्गफूट दरों का निर्धारण वर्ष 1997—98 में प्रथम बार किया गया है उसके पश्चात वर्ष 2004—2005 में 26 नये गांवों को निगम सीमा में सम्मिलित किये जाने पर मात्र नये क्षेत्रों के लिए ही दर का निर्धारण किया गया है। पूर्व निर्धारित दर में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। वर्तमान मे भूमि/भवनों की दरों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, किन्तु निगम द्वारा दरों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किये जाने से निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। दरें संशोधित किये जाने पर निगम को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। अतः प्रस्तावित दर एवं छूट दिये जाने के संबंध में प्रकरण मेयर इन काउंसिल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्पः— प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिया गया —

1/ संपत्तिकर की दरें एवं वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारण हेतु प्रति वर्गफूट दरें यथावत् रहेगी।

2/ ऐसे प्रत्येक वाणिज्यक भवन (एक मंजिला अथवा बहुमंजिला) जिसका निर्माण एक ही भू—स्वामी द्वारा किया गया हो या कराया गया हो एवं विभिन्न व्यक्तियों/संस्था/फर्म /कम्पनी इत्यादी विक्रय किया गया हो, के वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना उस सम्पूर्ण परिसर को एक विशेष परिक्षेत्र मानकर की जायेगी। एवं तदानुसार संपत्ति कर की गणना प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी एवं वर्तमान स्वामियों से उनके स्वामित्व के क्षेत्रफल के अनुपात में आरोपित की जायेगी।

3/ पूर्व मेयर इन काएंसिल के संकल्प क्र. 08 दिनांक 04.07.2005 में परित कंडिका क्र. 07 विलोपित किया जाता है ।

4/ जो आवासीय भवन स्वयं के उपयोग में हैं और जिनका कुल निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्गफूट या कम है तो उन्हें सम्पत्तिकर से मुक्त किया जाता है परन्तु अन्य करो एवं शुल्कों की गणना उक्त परिक्षेत्र/वार्ड के लिएं निर्धारित नियत दर से की जावेगी।

5/ धारा 137 के अंतर्गत संपत्तिकर दाताओं को प्रत्येक चालू वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार छूट दिया जायेगा।

अ/ 1 अप्रैल से 30 जून तक 6—1/4 प्रतिशत
ब/ 1 जुलाई से 30 सितंम्बर तक 5 प्रतिशत
स/ 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक 4 प्रतिशत

4/ 31 मार्च के पश्चात अधिभार पूर्ववत 15 प्रतिशत रहेगा।

सचिव,
नगर पालिक निगम,
रायपुर

सचिव कार्यालय

पृष्ठाकंन क्रमांक/क/सचिवालय/न.पा.नि../2011 रायपुर,दिनांक 17.03.2011

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. राजस्व विभाग को मूल नस्ती सहित प्रेषित।

सचिव,
नगर पालिक निगम,
रायपुर